



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17012022-232671
CG-DL-W-17012022-232671

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 49] नई दिल्ली, दिसम्बर 26, 2021— जनवरी 1, 2022, शनिवार/ पौष 5— पौष 11, 1943
No. 49] NEW DELHI, DECEMBER 26, 2021—JANUARY 1, 2022, SATURDAY/PAUSHA 5— PAUSHA 11, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 916.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री पंकज जोशी (जन्म तिथि: 7.7.1968) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/6/2021-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Financial Services)**

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 916.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Pankaj Joshi (DoB: 7.7.1968) as part-time non-official director on the Board of Directors of Punjab National Bank, for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 917.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री अजय सिंघल (जन्म तिथि: 14.12.1974) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/6/2021-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 917.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Ajay Singhal (DoB: 14.12.1974) as part-time non-official director on the Board of Directors of Bank of Baroda, for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 918.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री सरदार बलजीत सिंह (जन्म तिथि: 5.9.1980) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/6/2021-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 918.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Sardar Baljit Singh (DoB: 5.9.1980) as part-time non-official director on the Board of Directors of Bank of Maharashtra, for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 919.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री शशांक श्रीवास्तव (जन्म तिथि: 31.5.1964) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/6/2021-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 919.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Shashank Shrivastava (DoB: 31.5.1964) as part-time non-official director on the Board of Directors of Bank of Maharashtra, for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 920.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, सुश्री नलिनी पदमनाभन (जन्म तिथि: 20.7.1964) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केनरा बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/6/2021-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 920.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Ms Nalini Padmanabhan (DoB: 20.7.1964) as part-time non-official director on the Board of Directors of Canara Bank, for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 921.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री प्रदीप प्राणलाल खिमानी (जन्म तिथि: 26.2.1959) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/6/2021-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 921.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Pradip Pranlal Khimani (DoB: 26.2.1959) as part-time non-official director on the Board of Directors of Central Bank of India, for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 922.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री बालमुकुन्द सहाय (जन्म तिथि: 5.1.1964) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इंडियन बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/6/2021-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 922.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Balmukund Sahay (DoB: 5.1.1964) as part-time non-official director on the Board of Directors of Indian Bank for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 923.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री विश्वेश कुमार गोयल (जन्म तिथि: 2.3.1963) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इंडियन बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/6/2021-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 923.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Vishvesh Kumar Goel (DoB: 2.3.1963) as part-time non-official director on the Board of Directors of Indian Bank, for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 924.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1980 के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री शंकर लाल अग्रवाल (जन्म तिथि: 30.11.1959) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब एंड सिंध बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/6/2021-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 924.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby nominates Shri Shankar Lal Agarwal (DoB: 30.11.1959) as part-time non-official director on the Board of Directors of Punjab & Sind Bank, for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 925.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री संजीव कुमार सिंघल (जन्म तिथि: 4.6.1971) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/6/2021-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 925.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Sanjeev Kumar Singhal (DoB: 4.6.1971) as part-time non-official director on the Board of Directors of Punjab National Bank, for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 926.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री दीपक शर्मा (जन्म तिथि: 31.7.1976) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इंडियन ओवरसीज बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/6/2021-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 926.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Deepak Sharma (DoB: 31.7.1976) as part-time non-official director on the Board of Directors of Indian Overseas Bank, for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 927.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री बी. चन्द्र रेड्डी (जन्म तिथि: 14.4.1958) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इंडियन ओवरसीज बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/6/2021-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 927.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri B. Chandra Reddy (DoB: 14.4.1958) as part-time non-official director on the Board of Directors of Indian Overseas Bank, for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 928.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री सुरेश कुमार रूंगता (जन्म तिथि: 7.7.1956) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इंडियन ओवरसीज बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/6/2021-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 928.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Suresh Kumar Rungta (DoB: 7.7.1956) as part-time non-official director on the Board of Directors of Indian Overseas Bank, for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 929.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री अंजन तालुकदार (जन्म तिथि: 14.1.1967) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूको बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/6/2021-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 929.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Anjan Talukdar (DoB: 14.1.1967) as part-time non-official director on the Board of Directors of UCO Bank, for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 930.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री रवि कुमार अग्रवाल (जन्म तिथि: 6.8.1965) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूको बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/6/2021-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 930.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Ravi Kumar Agrawal (DoB: 6.8.1965) as part-time non-official director on the Board of Directors of UCO Bank, for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 931.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और उप-धारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री सूरज श्रीवास्तव (जन्म तिथि: 23.12.1973) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/6/2021-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 931.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) read with sub-clause (1) of clause (3) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Suraj Srivastava (DoB: 23.12.1973) as part-time non-official director on the Board of Directors of Union Bank of India for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 932.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 19 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री प्रफुल्ल प्रेमसुख छाजेड़ (जन्म तिथि: 25.9.1966) को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय स्टेट बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[फा.सं. 6/6/2021-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, निदेशक

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 932.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 19 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, hereby nominates Shri Prafulla Premsukh Chhajed (DoB: 25.9.1966) as part-time non-official Director on the Board of Directors of State Bank of India, for a period of three years, with effect from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/6/2021-BO.I]

S. R. MEHAR, Director